



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

इन्टरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2025 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 14/2025

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2025 के सभी परीक्षार्थियों/प्रधानाध्यापकों/अभिभावकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2025 का संचालन निम्न कार्यक्रम के अनुसार होगा :-

| सैद्धांतिक परीक्षा | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| परीक्षा की तिथि | प्रथम पाली | द्वितीय पाली |
| | | 9.45 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक |
| 20.03.2025 | राष्ट्रभाषा (RBH) | ट्रेड प्रथम पत्र (Trade First Paper) |
| 21.03.2025 | अंग्रेजी (English) | ट्रेड द्वितीय पत्र (Trade Second Paper) |
| 22.03.2025 | फाउण्डेशन कोर्स (Foundation Course) | ट्रेड तृतीय पत्र (Trade Third Paper) |
| 24.03.2025 | रिलेटेड विषय (Related subject) | XX-----XX-----XX-----XX |

प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 25.03.2025 से 31.03.2025 तक अपने मूल +2 विद्यालय में सम्पन्न होगी। संबंधित +2 विद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध है कि प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री परिषद् कार्यालय, राँची, संधाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 21.03.2025 से स्वयं या प्राधिकृत दूत के द्वारा प्राप्त कर लेंगे।


इन्टरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक परीक्षा, 2025 का प्रवेश पत्र दिनांक 11.03.2025 से परिषद् के वेबसाईट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा, जिसे संबंधित +2 विद्यालय डाउनलोड कर छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रवेश पत्र में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो +2 विद्यालय प्रधान स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से साक्ष्य आधारित संशोधन करा लेंगे।

जापाब - JAC/inter/VOC/3952/09/Secy/248/25
दिनांक - 8.3.2025

DOP - 9.3.2025

अध्यक्ष के आदेश से,


08/3/25

सचिव,


झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।



ज्ञापांक : JAC/mta/voc/3952/09/secy/248/25 दिनांक : 8.3.2025

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 09.03.2025 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।